न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स: जज़ **रामेश्वर वगैरा बनाम सरकार** **प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण** **मु.न. 66/2017**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.12.2018	अधिवक्ता फरीकेन उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई श्री चिम्मनलाल मीना का स्थानान्तरण हो चुका हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा मिसल स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नही हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को खारिज किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई का स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचारधीन दावा संख्या 179/17 उनवानी रामेश्वर बनाम राज. सरकार दावा दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा व जमाबंदी अस्थाई निषेधाज्ञा सं. 147/17 उनवानी रामेश्वर बनाम राजस्थान सरकार को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को भिजवायी जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 13.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति० जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official